सक्षम न्यायालय आर्बीट्रेटर एवं जिला कलेक्टर, दौसा
पीठासीन अधिकारी – देवेन्द्रकुमार
आई०ए०एस०

प्रार्थना पत्र सं0 12/2023 प्रा0पत्र.3 जी(5)रा.रा.अ.

1. बाबूलाल
2. गिर्राज
3. रमेश

पिसरान रामजीलाल समस्त जाति मीना निवासी ग्राम धनावड ढाणी तेलीकोठी तहसील बसवा जिला दौसा।

... प्रार्थी

बनाम

1. सक्षम प्राधिकारी एवम् उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई (राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 N के दिल्ली से, बडोदरा का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण निर्माण कार्य दौसा जिला दौसा की तहसील बसवा की भूमि अवाप्ति की कार्यवाही) जिला दौसा।
2. भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण जरिये परियोजना निदेशक प० का० ई०/दौसा/एल. ए. दौसा 87 गंगा विहार कॉलोनी होटल रावत पैलेस के पास आगरा रोड दौसा जिला दौसा

... अप्रार्थीगण

विवाद मुआवजा प्रार्थना पत्र / आर्बीट्रेशन प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 3जी (5) राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 विरूद्ध अवार्ड दिनांक 12–06–22 फैसला इजलास उपखण्ड अधिकारी आर. ए. एस. न्यायालय भूमि अवाप्ति अधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) बांदीकुई जिला दौसा जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 N के दिल्ली से बडोदरा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण निर्माण कार्यवाही हेतु अवाप्तशुदा भूमि पर निर्मित संरचना आदि की अवाप्ति कार्यवाही में अवाप्तशुदा स्ट्रक्चर कोड पर गलत तरीके से खसरा नम्बर-D-B-301 एल.एच.एस. अंकित कर अवार्ड पारित किया गया है उक्त स्ट्रक्चर की मुआवजा राशि के मूलधन पर 100 प्रतिशत सोलेडियम राशि प्रार्थी को दिलवाये जाने बाबत

उपस्थित– 1. श्री शिवेन्द्र कुमार शर्मा, अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री राजेश कुमार शर्मा, राजकीय अधिवक्ता।
3. श्री अभिनव जैन, अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 1

दिनांक 03.09.2025

निर्णय

1. संक्षिप्त विवरण प्रार्थना पत्र इस प्रकार है कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखण्ड अधिकारी, बांदीकुई द्वारा ग्राम धनावड के खसरा नंबर 1502 के पारित संरचना मुआवजा अवार्ड आदेश से व्यथित होकर प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है।
2. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया व अधीनस्थ भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी बांदी से बिन्दुवार तथ्यात्मक टिप्पणी तलब की गई। उभयपक्ष अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।
3. अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में कथन किया कि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा रा[illegible] 1956 की धारा 3 जी एवं भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित [illegible] और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमा[illegible] हेतु अवाप्ति की कार्यवाही करते हुए ग्राम धनावड तह[illegible] में स्थित भूमि अ[illegible] की गई है। ग्राम धनावड तहसील बसवा जिला दौसा में प्रार्थी[illegible] की खातेदारी की [illegible]सरा नम्बर 1493 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1493 रकबा 0.2500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1502 रकबा 0.4500 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 1505 रकबा 0.100 है0 गै० मु० चाह, खसरा नम्बर

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:11:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

1507 रकबा 0.1400 है0 गे० मु० आबादी स्थित है। प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1505 में कुआ स्थित था तथा भूमि खसरा नम्बर 1502 में बोरवेल (बोरिंग) स्थित था तथा वाके ग्राम धनावड स्थित आबादी भूमि खसरा नम्बर 1506 में प्रार्थीगण की पाटोल मकान बने हुए थे, प्रार्थीगण की उपर वर्णित खातेदारी भूमि तथा ग्राम पंचायत की आबादी भूमि खसरा नम्बर 1508 पास पास स्थित है। अप्रार्थी संख्या 01 ने नेशनल हाइवे संख्या 148 N निर्माण हेतु प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1505 स्थित कुआ व खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1502 स्थित बोरवेल (बोरिंग) तथा ग्राम पंचायत की भूमि खसरा नम्बर 1506 स्थित मकान पाटोल टीनशेड आदि निर्माण अवाप्त किया गया है। अप्रार्थी संख्या 01 को चाहिये था कि खातेदारी भूमि स्थित कुआ व बोरिंग की अवाप्ति को अवार्ड की गणना पर्चा खतौनी में अलग से दर्शाते हुए 100 प्रतिशत सोलेडियम राशि सहित प्रार्थीगण को मुआवजा राशि जारी करे, परन्तु अप्रार्थी संख्या 1 ने निहायत ही गलत तरीके से प्रार्थीगण के उपरोक्त कुआ, बोरिंग, मकान पाटोल को गणना पर्चा खतौनी के क्रम संख्या 18 पर ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि खसरा नम्बर 1506 में दर्शाते हुए तथा एक ही वैल्यूवेशन स्ट्रक्चर कोड **DB 301 (LHS)** बनाकर विना सोलेटियम राशि के अवार्ड राशि 14,74,387/— रूपये का अवार्ड बनाकर जारी कर दिया तथा उक्त वैल्यूवेशन स्ट्रक्चर की जो रिपोर्ट बनाई गई है उसमें प्रार्थीगण का कुआ तथा बोरवेल अवाप्त किया जाना अंकित किया है, जिसमें कुए की अवार्ड राशि मात्र 1,80,000/— रूपये तथा बोरवेल की अवार्ड राशि मात्र 1,80,000/— रूपये मात्र अंकित करते हुए कुल अवार्ड राशि 14,74,387/— रूपये ग्रंड टोटल किया गया है जिससे स्पष्ट जाहिर होता है कि अप्रार्थी संख्या 01 ने उक्त कुए तथा बोरवेल की 100 प्रतिशत सोलेटियम राशि प्रार्थीगण को जारी नहीं की है। प्रार्थीगण को उक्त अवार्ड की जानकारी होने पर प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 01 के यहां आपत्ति प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर सोलेटियम राशि दिलाये जाने का निवेदन किया, जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 ने पत्र क्रमांक 2021/1700 दिनांक 24—03—2021 जारी कर तहसीलदार से उक्त स्ट्रक्चर जांच रिपोर्ट पेश करने हेतु आदेशित किया, जिस पर उप तहसीलदार (भू०अ०) बांदीकुई ने पटवारी हल्का से उक्त स्ट्रक्चर नम्बर **DB 301 (LHS)** की जांच करवाई, पटवारी हल्का ने मौके की जांच कर जांच रिपोर्ट पेश की, उक्त जांच रिपोर्ट में अवाप्तशुदा कुआ प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1505 किस्म गै० मु० चाह तथा बोरवेल प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1502 रकबा 0. 45 है0 में होना स्पष्ट बताया है, उक्त मूल जांच रिपोर्ट उप तहसीलदार (भू० अ०) बांदीकुई ने अपने पत्र क्रमांक/भा.रा.रा.मा.प्रा./2021/265 दिनांक 01—04—2021 के साथ अप्रार्थी संख्या 01 को प्रेषित कर दी, परन्तु अप्रार्थी संख्या 01 ने उपर वर्णित कुआ तथा बोरवेल की राशि में 100 प्रतिशत राशि और जोडकर प्रार्थीगण को अदा नहीं की है। प्रार्थीगण अप्रार्थी सं0 01 से काफी बार मिलकर उपर वर्णित कुआ की मुआवजा राशि 1,80,000/— रूपये तथा बोरवेल की मुआवजा राशि 1,80,000/— रूपये दोनो पर सोलेटियम राशि की मांग की है, परन्तु अप्रार्थी संख्या 01 ने यह कर किया हमने जो एक बार अवार्ड बना दिया सो बना दिया, अब हम राशि नहीं बढा सकते, यदि आपको सोलेटियम राशि चाहिये तो कलेक्टर साहब के यहां आर्बीट्रेशन की कार्यवाही कर आदेश ले आओ, तभी तुम्हे सोलेटियम राशि दे पाउंगा, व[illegible] सोलेटियम राशि देने से इंकार कर दिया तथा प्रार्थीगण द्वारा नकल प्रार्थना[illegible] कर जांच रिपोर्ट की नकल मांगी गई तो रिपोर्ट देने से भी इन्का[illegible] सूचना के अधिकार के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त [illegible] तहसीलदार बांदीकुई के पत्र की नकल प्राप्त की है। यह है कि अप्रार्थी संख्या 01 ने [illegible]हायत ही गलत तरीके से प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1505 स्थित कुए एवं खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1502 स्थित बोरवेल को सरकारी भूमि खसरा नम्बर 1506 में दर्शाकर प्रार्थीगण के मकान, पाटोल,

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:11:46 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जिला कलेक्टर,दौसा

टीनेशेड आदि निर्माण के साथ एक ही वैल्यूवेशन स्ट्रक्चर नम्बर **DB 301 (LHS)** अंकित कर तथा उक्त वैल्यूवेशन स्ट्रक्चर में उपर वर्णित कुए तथा बोरवेल की मुआवजा राशि में 100 प्रतिशत सोलेटियम राशि नहीं जोडकर अवार्ड जारी करने में कानूनी गलती की है, इसलिये उक्त अवार्ड निरस्तनीय/संशोधित/पुनश्चय किये जाने योग्य है, तथा प्रार्थीगण को उपर वर्णित कुए एवं बोरवेल की 100 प्रतिशत सोलेटियम राशि 1,80,000/–रूपये + 3,60,000/–रूपये 1,80,000/– रूपये कुल अवार्ड दिनांक 12.06.2020 से ताअदायगी 12 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दिलाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अप्रार्थीगण से उक्त आदेश की नकल प्राप्त करने हेतु प्रार्थीगण द्वारा बार बार प्रयास किया गया परन्तु अप्रार्थीगण द्वारा नकल नहीं दी गई और अब सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन करने पर नकल प्राप्त होने से जानकारी से अन्दर मियाद यह प्रार्थना पत्र पेश है फिर भी रफाये हुज्जत दफा 5 कानून मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से संलग्न है। अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र आर्बीट्रेशन पेश कर अर्ज है कि अप्रार्थीगण द्वारा पारित अवार्ड दिनांक 12–06–2020 में वाके ग्राम धनावड तहसील बसवा जिला दौसा स्थित अवाप्तशुदा वैल्यूवेशन स्ट्रक्चर नम्बर **DB 301 (LHS)** के अवार्ड को जिसमें प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1502 स्थित अवाप्तशुदा बोरवेल को निहायत की गलत तरीके से भूमि खसरा नम्बर 1506 में होना बताकर बिना सोलेटियम राशि के उक्त अवार्ड जारी किया गया है, इसलिये उक्त अवार्ड को निरस्त/संशोधित/पुनश्च फरमाने की कृपा करे तथा प्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 1505 स्थित कुए मुआवजा राशि 1,80,000/– रूपये एवं प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1502 स्थित अवाप्तशुदा बोरवेल की मुआवजा राशि 1,80,000/–रूपये कुल 3,60,000/–रूपये की 100 प्रतिशत सोलेटियम राशि 3,60,000/–रूपये अवार्ड दिनांक 12.06.2020 से ताअदायगी 12 प्रतिशत कानूनी ब्याज सहित मुआवजा राशि प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण से दिलवाये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त गलत अवार्ड पारित करने के कारण प्रार्थीगण का लगभग 50,000/– रूपये प्रार्थी का केस मुकदमे आदि में खर्च हो गया है, उक्त 50,000/–रूपये भी प्रार्थीगण को अप्रार्थीगण से दिलाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करे।

4. राजकीय अधिवक्ता ने बहस में कथन किया कि भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी बांदीकुई द्वारा प्रार्थीगण की अवाप्तशुदा भूमि का विधिवत रूप से मुआवजा अवार्ड आदेश पारित किया गया है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

5. अधिवक्ता अप्रार्थी सं0 2 ने जवाब बहस में कथन किया कि भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 के प्रावधानों के तहत गठित एक संविधिक निकाय है जिसकों कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास, प्रबन्ध एवं रख–रखाव की जिम्मेदारी सौंपी गई है तथा प्राधिकरण का यह सत्त प्रयास है कि वह जनसाधारण को सुरक्षित तथा पर्याप्त रूप से निर्मित व विकसित राष्ट्रीय राजमार्ग उपलब्ध कराये। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण किसी भी राजमार्ग को व्यापक लोकहित में देखते हुए उसे राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने का कार्य करती है, तथा अधिनियम की धारा 2 के तहत किसी भी राजमार्ग को राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करने की अधिघोषणा करती है, तथा उक्त अधिघोषणा केन्द्र सरकार द्वारा भारत के राजपत्र में अधिसूचना जारी कर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग में परिवर्तित करती है। केन्द्र सरकार किसी भी राष्ट्रीय राजमार्ग के प्रबंधन, संरक्षण, प्रचालन, चौडा करने, 4/6 लेनीकरण करने के उद्देश्य से अधिनियम की धारा 3 की उपधारा के तहत केन्द्र सरकार भारत के राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर सक्षम प्राधिकारी की नियुक्ति करती है, जिसके तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा भूमि अधिग्रहण एवं मुआवजा अभिनिर्धारण का कार्य सम्पन्न करवाया जाता है। भूमि अवाप्ति अधिकारी राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम के प्रावधानों के तहत अवाप्ती की सम्पूर्ण कार्यवाही कर 4/6 लेनीकरण के लिए

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by: Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:11:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर, दौसा

भूमि उत्तरदाता प्राधिकरण को सुपुर्द करती है, जिसके पश्चात् ही उत्तरदाता प्राधिकरण द्वारा 4/6 लेनीकरण का कार्य सम्पन्न करवाया जाता है। भारत सरकार के सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय केन्द्र सरकार नई दिल्ली ने व्यापक लोक हित को देखते हुए भारत में राजस्थान राज्य के दौसा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के 149.000 कि.मी. से 170.800 कि.मी. (दिल्ली–बडोदरा एक्सप्रेस वे) के निर्माण अनुरक्षण, प्रबंध और प्रचालन के लोक प्रयोजन हेतु राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खण्ड (क) के अन्तर्गत सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2306 (अ) दिनांक 05.06.2018 अधिसूचना संख्या का. आ. 4110 (अ) दिनांक 21.08.2018 व अधिसूचना संख्या का.आ. 3810 (अ) दिनांक 31.07.2018 द्वारा प्राधिकृत अधिकारी भूमि अवाप्ति के कृत्यों का पालन करने के लिए अप्रार्थी संख्या 1 उपखण्ड अधिकारी, बांदीकुई को सक्षम प्राधिकारी के रूप में मनोनित किया गया। यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि राजस्थान राज्य के दौसा जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के 149.000 कि.मी. से 170.800 तक के भूखण्ड के निर्माण (चौडीकरण/पेव्ड शोल्डर सहित 2–लेन/4–लेन का बनाना आदि), अनुरक्षण, प्रबन्ध, प्रचालन करने के लोक प्रयोजन के लिए भूमि अपेक्षित है, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (क) की उपधारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोजन करते हुए सडक परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय नई दिल्ली की अधिसूचना संख्या का. आ. 4114 (अ) दिनांक 21.08.2018 जारी की गई जो भारत के राजपत्र में दिनांक 23.08.2018 को प्रकाशित की गयी। उक्त अधिसूचना का सार राजस्थान राज्य के दो दैनिक समाचार पत्रों दैनिक भास्कर व दैनिक नवज्योति में दिनांक 09.09.2018 को किया गया के द्वारा भूमि का अर्जन किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 सी के अन्तर्गत अधिनियम की धारा 3 ए के अन्तर्गत नोटिफिकेशन के विरुद्ध उस भूमि में हित रखने वाला कोई भी व्यक्ति धारा 3 ए के नोटिफिकेशन जारी होने के 21 दिन के अन्दर अपनी आपत्तियाँ सक्षम अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत कर सकता था तथा समक्ष अधिकारी उक्त व्यक्ति को सुनवाई का अवसर देने के पश्चात् ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत आपत्तियों को अपने आदेश द्वारा स्वीकार या अस्वीकार कर सकता है। धारा 3 ए का नोटिफिकेशन जारी होने के पश्चात् जिन व्यक्तियों द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 सी के अन्तर्गत आपत्तियाँ प्रस्तुत की गई उन्हें पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया गया तथा उक्त आपत्तियों को सुनने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा आपत्तियों का विधि के प्रावधानों के अनुसार निस्तारण किया गया। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 148 एन के दिल्ली–बडोदरा एक्सप्रेस वे के सम्बन्ध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा 3 सी के अन्तर्गत समस्त प्राप्त आक्षेपों पर विचार कर उन्हे निर्णित करने के पश्चात् अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को भेजी जिसके पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या का.आ. 556 (अ) दिनांक 30.01.2019 जारी की गयी, जो भारत के राजपत्र में दिनांक 30.01.2019 को प्रकाशित की गयी । उक्त अधिसूचना का सार दो दैनिक समाचार पत्रों समाचार जगत व राजस्थान पत्रिका दोनो में दिनांक 08.02.2019 के अंको में प्रकाशित किया गया। उक्त अधिसूचना के पश्चात् समस्त अधिग्रहित भूमि वाके ग्राम धनावड तहसील बसवा जिला दौसा सम्मिलित है जो केन्द्रीय सरकार में अन्तिम रूप से निहित हो चुकी है। केन्द्र सरकार नई दिल्ली द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत जारी 3 ए अधिसूचना में वाके ग्राम धनावड तहसील बसवा जिला दौसा के अवाप्त रकबे बावत् अधिसूचना प्रकाशित की गई । उक्त आराजी के एवम् समस्त अवाप्त की जाने वाली भूमि के सम्बन्ध में भी सम्बन्धित हितधारकों से आक्षेप आमंत्रित किये गये। प्राप्त सभी आपत्तियों पर विचार करने के पश्चात् सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त विवादित आराजी के अर्जन बावत् रिपोर्ट तैयार कर केन्द्र सरकार नई दिल्ली को भेजी गई जिसके आधार पर केन्द्र सरकार नई दिल्ली द्वारा भूमि अर्जन बावत् अधिनियम की धारा 3 डी की अधिसूचना प्रकाशित की गई। उक्त अधिसूचना में यह अंकित किया गया कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विलग्नमों से मुक्त होकर आत्यान्तिक रूप

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:41:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

से केन्द्र सरकार में निहित हो चुकी है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 डी (1) के अन्तर्गत घोषणा के प्रकाशन के पश्चात् समस्त अधिग्रहित भूमि केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाती है जिसमें प्रार्थीगण की भूमि भी सम्मिलित है तथा जिसे किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 एफ के अनुसार धारा 3 डी के अन्तर्गत केन्द्रीय–सरकार में निहित भूमि पर केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिकृत कोई भी व्यक्ति उक्त भूमि पर निर्माण, रख–रखाव अथवा उससे सम्बन्धित अन्य कोई कार्य करने हेतु प्रवेश कर सकता है। सक्षम प्राधिकरी (भूमि अवाप्ति) द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 की धारा 3 (जी) के तहत अवाप्तशुदा भूमि का मूल्य एवं अर्जित भूमि पर स्थित भवन आदि परिसम्पत्तियों की मुआवजा राशि का निर्धारण किया गया व अधिनियम की धारा 3 जी में दिये गये निर्देशों की पालना में एवं भूमि अर्जन, पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के तहत सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि/निर्माण की मुआवजा राशि निर्धारित की गई। अवार्ड की राशि का भुगतान राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सक्षम प्राधिकारी (भूमि अवाप्ति अधिकारी) को जमा करवा दिया गया है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिकर निर्धारण के लिए निहित प्रक्रिया की अनुपालना करते हुए अवार्ड पारित किया गया है तथा भू–अर्जन से प्रभावित व्यक्तियों को उनके अंश व हिस्से के अनुसार प्रतिकर का निर्धारण किया गया है। अर्जित भूमि पर स्थित भवन आदि परिसम्पत्तियों की धनराशि भूमि अर्जन, पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा –30 की उपधारा–1 के अनुसार अर्जित भूमि पर स्थित भवन और अन्य स्थावर सम्पत्ति या आस्तियों के बाजार मूल्य का अवधारण करने के लिए सुसंगत क्षेत्र में किसी सक्षम इंजीनियर या एसे किसी अन्य विशेषज्ञ की सेवा का उपयोग करने के प्रावधान हैं जिसके अनुसार अर्जित भूमि पर स्थित भवन इत्यादि का मूल्यांकन/ सत्यापन सार्वजनिक निर्माण विभाग से कराकर रिपोर्ट अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड, सिकन्दरा के पत्र संख्या 1098 दिनांक 18.06.2019 के द्वारा सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध करवायी गयी जिसके अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा अर्जित भूमि पर स्थित भवन और अन्य स्थावर सम्पत्ति या आस्तियों आदि का मुआवजा निर्धारित किया गया। **RFCTLARR** 2013 की धारा 30 के अनुसार अर्जित भूमि के बाजार मूल्य एवं अर्जित भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियों की धनराशि पर समान रूप से 100 प्रतिशत तोषण **(Solatium)** आंगणित करते हुए मुआवजा निर्धारित किया गया है। जो परिसम्पत्तियॉ सरकारी भूमि में स्थित हैं, उन पर तोषण **(Solatium)** देय नहीं है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अवाप्तशुदा भूमि पर स्थित भवन इत्यादि का मूल्यांकन/सत्यापन सार्वजनिक निर्माण विभाग से कराकर रिपोर्ट अधिशाषी अभियन्ता सा.नि.वि. खण्ड, सिकन्दरा के पत्र संख्या 1098 दिनांक 18.06.2019 के द्वारा सक्षम प्राधिकारी को उपलब्ध करवायी के आधार पर निर्मित संरचना के संबंध में भूस्वामी/हितबद्ध व्यक्तियों के हक में मुआवजा भूमि अर्जन, पुर्नवासन, और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 में वर्णित प्रावधानों के अनुसार पूरक अधिनिर्णयदृआदेश दिनांक 12.06.2020 के अनुसार निर्धारित की गई है । प्रार्थीगण कोई अतिरिक्त मुआवजा राशि प्राप्त करने के अधिकारी नहीं हैं। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र निरस्त किये जाने योग्य है। अर्जन निकाय द्वारा अधिग्रहित भूमि लोक हित में राष्ट्रीय राजमार्ग के निमार्ण हेतु अधिग्रहित की गई है। अधिग्रहन का उद्देश्य न तो आवासीय और न ही व्यवसायिक है। लोकहित में राजमार्ग का निर्माण किया जा रहा है जिसमें अधिक दूरी को कम समय में तय किया जा सके। ईंधन/उर्जा की कम खपत हो तथा मार्ग दुर्घटनाओं से बचा जा सके तथा आवागमन सुगम हो सके। अधिग्रहित भूमि का प्रतिकर का निर्धारण अधिनियम में उल्लिखित प्रावधानों के अनुसार निर्धारित किया गया है। जो विधि सम्मत् एवं उचित है। वर्तमान भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1956 के अन्तर्गत की गई है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:11:46 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर,दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

6. भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी बांदीकुई से रिपोर्ट प्राप्त की गई जिसके अनुसार ग्राम धनावड तहसील बसवा स्थित स्ट्रक्चर सं0 डीबी 301 एलएचएस खसरा नंबर 1506 में बने हुए है। खसरा नंबर 1506 की भूमि राजस्थान सरकार की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। इस स्ट्रक्चर को राष्ट्रीय राजमार्ग सं0 148 एन0 के निर्माण हेतु अवाप्त किया गया है। एन. एच.148 एन के निर्माण हेतु अवाप्तशुदा स्ट्रक्चरों का ड्राफ्ट अवार्ड संबंधित पटवारी, भू अभिलेख निरीक्षक व तहसीलदार बसवा द्वारा जांच कर प्रमाणित किये जाने के उपरांत दिनांक 12.6.2020 को स्ट्रक्चरों का अवार्ड विधिवत प्रकिया पूर्ण कर पारित किया गया है। उक्त स्ट्रक्चरों का मूल्यांकन रिपोर्ट सार्वजनिक निर्माण विभाग उपखंड बांदीकुई द्वारा प्रमाणित की गई है। उक्त स्ट्रक्चर डीबी 301 का मुआवजा 14,74,387/—रूपया निर्धारण किया जाकर बाबूलाल गिरीराज, रमेश पुत्र रामजीलाल के नाम स्वीकृत किया गया है।
7. हमने उपस्थित अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया।
8. प्रार्थीगण का मुख्य तर्क है कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1505 में कुआ स्थित था तथा भूमि खसरा नम्बर 1502 में बोरवेल (बोरिंग) स्थित थी जिसका भूमि अवाप्ति अधिकारी द्वारा पारित अवार्ड आदेश में सोलेशियम नहीं दिया गया है। पत्रावली में संलग्न पटवारी हल्का धनावड की रिपोर्ट के अनुसार " ग्राम धनावड में स्थिति दिल्ली मुम्बई एक्सप्रेस वे एनएच 148 एन में निर्माणाधीन में स्थित संरचना सं0 डी.बी. 301 की मौका जांच की गई। उक्त संरचना डी.बी. 301 में एक पुख्ता मकान, एक पाटोल, एक क1आ व एक बोरवेल स्थित है। उक्त चारों स्ट्रक्चरों को डी0बी0 301 में चिन्हित किया गया है। मौका देखने पर कुआ खसरा नंबर 1505 रकबा 0.01है. गै0मु0 चाह व बोरवेल खसरा नंबर 1502 रकबा 0.45है0 किस्म चाही 2 वर्तमान राजस्व रिकार्ड ग्राम धनावड के खाता सं0 156 में बाबूलाल, गिर्राज, रमेश हिस्सा 3/4, केसर पत्नि रामजीलाल हिस्सा 1/4 के नाम दर्ज रिकार्ड है एवं पुख्ता मकान व पाटोल खसरा नंबर 1506 रकबा 0.13है. किस्म गै0मु0आबादी वर्तमान जमाबंदी के खाता सं0 35 में ग्राम पंचायत (आबादी हेतु) में दर्ज रिकार्ड है। प्रार्थीगण की अवाप्तशुदा कुए प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 1502 स्थित अवाप्तशुदा बोरवेल की मुआवजा राशि में तोषण राशि नहीं दी गई है।
9. उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है। प्रकरण भूमि अवाप्ति अधिकारी बांदीकुई को इस आशय से रिमांड किया जाता है कि इस न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के आलोक में एवं प्रार्थीगण द्वारा उठाई गई आपत्तियों को मध्यनजर रखते हुए सभी पक्षकारान को सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान करते हुए संभवत 45 दिवस में पुनः विधिवत अवार्ड जारी करने। पक्षकारान दिनांक 18.9.2025 को भूमि अवाप्ति अधिकारी उपखंड अधिकारी बांदीकुंई के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित होवें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद पूर्ति प्रविष्ठ लेख भण्डार हो।

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

निर्णय आज दिनांक 03 सितम्बर, 2025 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया। इस निर्णय की अपील सक्षम न्यायालय में नियत समयावधि के भीतर की

Signature Not Verified

Digitally signed by Devendra Kumar
Date: 2025.10.01 12:11:46 IST
Reason: SelfAttested

(देवेन्द्र कुमार)
जिला कलक्टर, दौसा

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official